सं. ए-12018/22/2017-स्था./पीएच
भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
(पी एच प्रभाग)

निर्माण भवन, नई दिल्ली
दिनांक: 16 .08.2018

सूचना

यह मंत्रालय, एनसीडीसी में स्टाफ कार ड्राईवर ग्रेड-। के पद के लिए भर्ती नियमों में संशोधन करने के एक प्रस्ताव की जांच कर रहा है। इस संबंध में प्रारूप भर्ती नियम बनाये गये थे और इन्हें संयुक्त सचिव (जन स्वास्थ्य) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने अनुमोदित कर दिया है।

प्रस्ताव को संबंधित एजेंसियों को भेजने से पहले, इस मामले में सभी स्टेक होल्डर्स से टिप्पणियां, यदि कोई हों, आमंत्रित की जाती हैं। अधोहस्ताक्षरी को टिप्पणियां कमरा नं. 521 'ए', निर्माण भवन, नई दिल्ली – 110011 में दिनांक 15.09.2018 तक भेज दी जाएं और सॉफ्ट कॉपी ajaya59@gmail.com पर भेजी जाए।

संलग्नक : यथोक्त

(अजय कुमार के.पी.)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष : 23061342

भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली
दिनांक: 2018

अधिसूचना

सां.का.नि.- राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, दिल्ली (समूह 'ग' पद) भर्ती नियमावली, 1980 और 1994 (संशोधित) का अतिक्रमण करते हुए जो क्रमशः **ड्राईवर एवं स्टाफ कार ड्राईवर –1** के पदों से संबंधित हैं, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र, 22-शामनाथ मार्ग, दिल्ली-110054 में स्टाफ कार ड्राईवर ग्रेड-I पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं; अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:–** (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय रोग नियंत्रण संस्थान, 22-शामनाथ मार्ग, दिल्ली -110054 **(स्टाफ कार ड्राईवर ग्रेड-I)** भर्ती नियम 2018 है।
   (ii) यह राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. **आवेदन :** यह नियम, इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट पदों के लिए लागू होंगे ।
3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान:-** पदों की संख्या और उनसे संबद्ध वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. ***भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अर्हताएं आदि:-*** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उक्त पद से संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

   परंतु, सीधी भर्ती के लिए निर्धारित उच्च आयु सीमा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार शिथिलनीय है।

5. *निरर्हता:–* वह व्यक्ति

   (i) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है अथवा विवाह के लिए अनुबंध किया है जिसका पति या पत्नी जीवित है; या
   (ii) जिसने एक पति/एक पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति के साथ विवाह किया है अथवा विवाह का अनुबंध किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

   परंतु यदि केंद्रीय सरकार इससे सहमत है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति:-** जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्तिः-** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतमान अथवा वेतन मैट्रिक्स लेवल	चयनित पद है अथवा अचयनित	सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा	सीधी भर्ती हेतु अपेक्षित शिक्षा तथा अन्य अर्हताएं
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
स्टाफ कार ड्राईवर ग्रेड-I	5* (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन हो सकता है।	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में लेवल-5 (रुपये 29200-92300)	अचयनित	लागू नहीं	लागू नहीं

क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षिणिक योग्यताएं पदोन्नित होने वाले व्यक्तियों के मामले में भी लागू होंगी।	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की विधि: क्या सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा या आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन ग्रेड द्वारा भर्ती के मामले में, जिनसे पदोन्नति/प्रति-नियुक्ति/आमेलन किया जाना है।	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, उसकी संरचना कैसी है।	परिस्थितियां, जिनमें भर्ती करने हेतु संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है।
8	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
लागू नहीं	लागू नहीं	प्रोन्नति द्वारा	प्रोन्नति : वेतन मैट्रिक्स के लेवल 4 में स्टाफ कार ड्राईवर ग्रेड-II ग्रेड में छह वर्ष नियमित सेवा रखते हैं अथवा स्टाफ कार ड्राईवर -2 तथा स्टाफ कार ड्राईवर (सामान्य ग्रेड) में 15 वर्ष की सम्मिलित सेवा रखते हैं तथा सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट ट्रेड परीक्षा उत्तीर्ण है।	प्रोन्नति और/स्थायीकरण हेतु समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति: अपर निदेशक, एनसीडीसी, दिल्ली के रैंक का अधिकारी - एक 2. संयुक्त निदेशक, एनसीडीसी, दिल्ली के रैंक का अधिकारी -एक 3. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय से उप निदेशक (प्रशा. एवं उच्च रैंक का अधिकारी) – एक 4. एनबीबीडीसीपी से अथवा स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, दिल्ली/नई दिल्ली के अधीन किसी संस्था से प्रशासनिक अधिकारी – एक 5. सहायक निदेशक (प्रशासन) /प्रशासनित अधिकारी, एनसीडीसी, दिल्ली-एक	लागू नहीं